उपलब्ध हैं और देश में दालों के परिष्कृत बीज आवश्यक मात्रा में उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविंद नेताम): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। दोनों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी, जनसंख्या में वृद्धि की तुलना में दलहनों के उत्पादन की धीमी गति से वृद्धि के कारण हुई है।

(ग) पिछले दशक में देश में दलहनों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि की गति धीमी रही है।

(घ) दालों में वर्तमान बीज प्रतिस्थापन दर कम है। दालों के बीज की कमी को पूरा करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के तहत बीज ग्रांव योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम जैसी बीज उत्पादन एजेंसियों को भी प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए सहायता दी जाती है।

आनुवांशिक इंजीनियरिंग को बढ़ावा देना

7446. श्री अजीत जोगी:
श्री मूलचन्द मीणा:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पौधों को अधिक लचीला बनाने के लिए देश में आनुवांशिक इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है / किये जाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस॰ कृष्ण कुमार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आनुवंशिक तौर पर पौधों के विकास के लिए जो कीट-व्याधियों द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने वाले जैविक दबाओं तथा सूखा एवं मृदा लवणता जैसे अजैविक दबाओं को सह सकें, भा॰कृ॰अ॰परिषद (आई॰सी॰ए॰आर॰) और जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने अनुसंधान संबंधी अनेक कार्य शुरू किए हैं। कपास, तम्बाकू चना, सरसों और चावल जैसी फसलों के लिए अनुसंधान कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। तम्बाकू सरसों और चना में कीट-प्रतिरोधी जीनों का पहले ही समावेश किया जा चुका है। अब जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान भा॰कृ॰अ॰ के सभी फसल अनुसंधान संस्थानों का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसके अतिरिक्त भा॰कृ॰अ॰ संस्थान, नई दिल्ली में पौध विज्ञान में जैव-प्रौद्योगिकी और आनुवंशिक इंजीनियरी में अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय स्तर पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जैव-प्रौद्योगिकी विभाग ने पौध मोलेकूलर बायोलाजी के लिए केन्द्र की स्थापना हेतु भा॰कृ॰अ॰प॰ के संस्थानों एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Self- Sufficiency of Indian Drug Industry

7447. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Indian drug Industry is 99% selfsufficient in formulations and 70% in bulk drugs with its exports totalling about Rs. 1400 crore;

(b) whether it is also a fact that the present Indian Patents Act 1970 is capable of meting the needs of drugs and medicines for the poor;

(c) whether it is also a fact that the present rate of drugs are just; and

(d) if so, how far the availability of essential as well as non-essential drugs at prices afforadable by the poor will be ensured after the present amendment in the Act of 1970 comes into operation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILEZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) The Indian drug industry is producing almost complete range of formulations needed in the country and also meets about 70% of bulk drug requirement. Trade balance has been favourable for the last four years and during 1993-94, exports were of the order of Rs. 1781.40 crores.

(b) to (d) Availability of medicines is dependent upon a variety of factors viz.